



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2011/फाल्गुन 19, 1932

No. 128]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2011/PHALGUNA 19, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2011

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2011

सा.का.नि. 207(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 201(अ) दिनांक 22 मार्च, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गई वस्तुओं के सिवाए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. एस. सिस्तानी, अध्यक्ष
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री वाल्मिकी जे. मेहता, सदस्य
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एल. मेहता, सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2011 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. यू. 11016/01/2011-पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस]

नीता गुप्ता, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना सा.का.नि. 201(अ), दिनांक 22 मार्च, 2010, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 22 मार्च, 2010 को प्रकाशित हुई थी।

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 201(E), dated 22nd March, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of:—

1. Hon'ble Mr. Justice G. S. Sistani, Chairman
2. Hon'ble Mr. Justice Valmiki J. Mehta, Member
3. Hon'ble Mr. Justice M. L. Mehta, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2011.

[F.No. U. 11016/01/2011-PITNDPS]

NITA GUPTA, Under Secy.

Foot Note: The Notification G.S.R 201(E), dated 22nd March, 2010 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 22nd March, 2010.